फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री महेश कुमार झुंझुनू
बनाम
शिवलाल पुत्र बख्ताराम,मै0 शिवलाल नमकीन भण्डार,हॉट बाजार,झुंझुनू निवासी ढाणी माली की बाड़ी, बीकानेर।

प्रकरण संख्या– 19/2017 (खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.03.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित जबाब पेश किया। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि अनावेदक गरीब ओर बेरोजगार व्यक्ति है अनावेदक ग्रामीण हाट बाजार आबूसर में मजदूरी करने के लिए आया था इसके लिए अनावेदक ने बीकानेर के एक दुकानदार से हॉट बाजार में बेचने के लिए कुछ पैकेट खरीदे थे, अनावेदक ने लक्ष्मी भुजिया स्वयं ने तैयार नही की तथा ना ही किसी प्रकार की मिलावट की है। इसलिए अनावेदक को धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./90/एक्ट/2017/155/ दिनांक 02.02.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ नमकीन (लक्ष्मी भुजिया) मिस ब्रांण्डेड पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक शिवलाल पुत्र बख्ताराम, मै0 शिवलाल नमकीन भण्डार, हॉट बाजार, झुंझुनू निवासी ढाणी माली की बाड़ी, बीकानेर को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 1,000/– एक हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नबर रजिस्टर कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.03.21 15:47:54 IST Reason: SelfAttested अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू	